3

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 188 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 482/2023

राजबाला (पुत्री स्व0 श्री रामेश्वरलाल) धर्मपत्नी श्री हेतराम आयु 53 वर्ष जाति नाई निवासी रामपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

-:वादी

बनाम्

1 लिछ्मा धर्मपत्नी स्व0 श्री रामेश्वरलाल आयु लगभग 72 वर्ष जाति नाई निवासी पक्का सारना, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3 सतीश कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर जाति नाई निवासी 3/124, शंकर कॉलोनी, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)
4 पुनम नाई पत्नी श्री सतीश कुमार जाति नाई निवासी 3/124, शंकर कॉलोनी, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता वादी
2. श्री सुरेन्द्र सहारण - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 3, 4
3. राज पैरोकार

-:निर्णयः-

दिनांक 24.12.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीया के दादा स्व0 श्री फताराम पुत्र श्री जालू की तहसील हनुमानगढ के चक नम्बर 23 एलएलडब्लयू में निम्नलिखित खातो में खातेदारी कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे दर्ज रही है - (क) चक 23 एलएलडब्लयू के संयुक्त खाता सख्या 27/24, सम्वत 2050 तादादी 10.120 हैक्टेयर में 3.374 हैक्टेयर अर्थात 13 बीघा 7 बिस्वा।

चक 23 एलएलडब्लयू के संयुक्त खाता सख्या 38/33 सम्वत 2050 तादादी 6.578 हैक्टेयर में 2.276 हैक्टेयर अर्थात 9.00 बीघा। चक 23 एलएलडब्लयू के संयुक्त खाता सख्या 88 सम्वत 2050 तादादी 12.650 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा अर्थात 4.216 हैक्टेयर अर्थात 16 बीघा 13 बिस्वा। इस प्रकार उक्त तीनो खातो में वादीया के दादा स्व0 श्री फताराम पुत्र श्री जालू की 3.374 हैक्टेयर, 2.276 हैक्टेयर, 4.216 हैक्टेयर कुल 9.866 हैक्टेयर अर्थात 39 बीघा भूमि थी। वादीया के दादा स्व0 श्री फताराम के देहान्त उपरान्त उक्त वर्णित कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 99 वादीया के पिता श्री रामेश्वरलाल व ताऊ श्री बृजलाल के पक्ष में बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ।

वादीया के पिता स्व0 श्री रामेश्वरलाल का दिनांक 10.06.2023 को देहान्त हो चुका है तथा स्व0 श्री रामेश्वरलाल के प्रथम श्रेणी के वारिस वादीया व माता प्रतिवादीया संख्या 1 ही है। मित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। वाद पत्र के तथ्यों को सरलतापूर्वक समझने हेतु वंशावली निम्न प्रकार है। स्व0 श्री फताराम के देहान्त उपरान्त उनके नाम दर्ज भूमि उनके पुत्रगण बृजलाल

। रामेश्वरलाल के नाम उपरोक्त वर्णित तीनों खातो में बहिस्सा बराबर दर्ज हुई तथा वर्तमान जमाबंदी में वादीया के पिता स्व0 श्री रामेश्वरलाल के नाम से निम्नलिखित अनुसार भूमि दर्ज है -

(क) चक 23 एलएलडब्लयू के खाता सख्या 49/53 सम्वत 2074-2077 तादादी 10.120 हैक्टेयर में 1687/10120 हिस्सा दर्ज है प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

चक 23 एलएलडब्लयू के खाता सख्या 91/55 सम्वत 2074-2077 तादादी 6.578 हैक्टेयर में 569/3289 हिस्सा यानि 1.138 हैक्टेयर अर्थात 4 बीघा 10 बिस्वा। चक 23 एलएलडब्लयू के खाता सख्या 75/56 सम्वत 2074-2077 तादादी 12.650 हैक्टेयर में 2109/12650 हिस्सा यानि 2.109 हैक्टेयर अर्थात 8 बीघा 7 बिस्वा।

वाद पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तीनो खातो की भूमि में वादीया के पिता स्व0 श्री रामेश्वरलाल के नाम दर्ज क्रमशः 1.687 हैक्टेयर, 1.138 हैक्टेयर व 2.109 हैक्टेयर कुल 4.934 हैक्टेयर अर्थात 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि पैतृक सम्पति है तथा वादीया का परिवार हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होने से तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में सन् 2005 को हुये संशोधन अनुसार उक्त वर्णित पैतृक एवं सहदायिक सम्पति में वादीया का अपने पिता के जीवनकाल में ही बतौर सहादायिक उनके साथ बहिस्सा बराबर का हक निहित हो चुका था तथा वादीया का उक्त वर्णित कुल 4.934 हैक्टेयर भूमि मे पिता के जीवनकाल में 1/2 हिस्सा अर्थात 2.467 हैक्टेयर की खातेदार हिन्दू विधि अनुसार हो चुकी थी तथा शेष 2.467 हैक्टेयर भूमि ही वादीया के पिता स्व0 श्री रामेश्वरलाल की रही तथा उनके देहान्त उपरान्त उक्त 2.467 हैक्टेयर भूमि के विरासतन हक वादीया व प्रतिवादी सख्या 1 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार तीनो खातो की कुल 4.934 हैक्टेयर भूमि में वादीया का कुल 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 1 का 1/4 हिस्सा है तथा वादीया उक्तानुसार खातेदारी अधिकारो की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी व दावेदार है, आदि आदि तथ्यो पर वाद पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। सतीश कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर व पुनम नाई पत्नी श्री सतीश कुमार जाति नाई निवासीगण 3/124, शंकर कॉलोनी, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0) द्वारा उक्त वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित होने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधिवक्ता वादीया द्वारा अनापति जाहिर करने पर सतीश कुमार व2 पुनम नाई को वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 पक्षकार संयोजित किया गया। अधिवक्ता वादीया द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 ने स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा इन कथनो के साथ पेश किया कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 के नाम स्वर्गीय रामेश्वरलाल की कुल 4.934 हैक्टेयर आराजी वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें से प्रतिवादी सख्या 3-0.464 हैक्टेयर आराजी, प्रतिवादी सख्या 4-0.801 हैक्टेयर, वादीया-3.669 हैक्टेयर आराजी अच्छी मन्दी आराजी के अनुसरण में मुताबिक राजीनामा प्राप्त करने की अधिकारी है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में घोषणा करवाकर अंकन करवाने हेतु पक्षकारान सहमत है - (क) चक 23 एलएलडब्लयू के संयुक्त खाता सख्या 49/53, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में कुल 10.120 हैक्टेयर आराजी में वादीया राजबाला के नाम .8435 हैक्टेयर आराजी, प्रतिवादी संख्या 1 लिछमा देवी के नाम .2535 हैक्टेयर, प्रतिवादी सख्या 3 सतीश कुमार के नाम .590 हैक्टेयर आराजी में राजबाला का .4215 हैक्टेयर हिस्सा कम कर राजाबाला के नाम .422 हैक्टेयर तथा प्रतिवादीया संख्या 1 लिछमा का नाम कलमजद कर प्रतिवादी सख्या 3 सतीश कुमार के नाम .590 हैक्टेयर में से .126 हैक्टेयर कम कर .464 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 4 पूनम नाई के नाम .801 हैक्टेयर आराजी की घोषणा करवाने के

अधिकारी है। (ख) चक नम्बर 23 एलएलडब्लयू के खाता सख्या 91/55 में रामेश्वरलाल पुत्र फताराम के नाम 1.138 हैक्टेयर आराजी दर्ज में रामेश्वरलाल का नाम कलमजन कर वादीया राजबाला के नाम 1.138 हैक्टेयर आराजी की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

(ग) चक 23 एलएलडब्लयू के खाता सख्या 75/56 में प्रतिवादीया सख्या 4 पूनम नाई के नाम 1.0545 हैक्टेयर व वादीया राज बाला के नाम 1.0545 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें पूनम नाई का नाम कलमजन कर 1.0545 हैक्टेयर आराजी की घोषणा वादीया राजबाला के नाम की जाकर कुल 2.109 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने की अधिकारी है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति व राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 23 एलएलडब्लयू के संयुक्त खाता सख्या 49/53, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में कुल 10.120 हैक्टेयर आराजी में वादीया राजबाला के नाम .8435 हैक्टेयर आराजी, प्रतिवादी संख्या 1 लिछमा देवी के नाम 0. 2535 हैक्टेयर, प्रतिवादी सख्या 3 सतीश कुमार के नाम .590 हैक्टेयर आराजी में राजबाला का 0.4215 हैक्टेयर हिस्सा कम कर राजबाला के नाम .422 हैक्टेयर तथा प्रतिवादीया संख्या 1 लिछमा का नाम कलमजन कर प्रतिवादी सख्या 3 सतीश कुमार के नाम .590 हैक्टेयर में से 0. 126 हैक्टेयर कम कर 0.464 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 4 पूनम नाई के नाम .801 हैक्टेयर आराजी की घोषणा व चक नम्बर 23 एलएलडब्लयू के खाता सख्या 91/55 में रामेश्वरलाल पुत्र फताराम के नाम 1.138 हैक्टेयर आराजी दर्ज में रामेश्वरलाल का नाम कलमजन कर वादीया राजबाला के नाम 1.138 हैक्टेयर आराजी की घोषणा तथा चक 23 एलएलडब्लयू के खाता सख्या 75/56 में प्रतिवादीया सख्या 4 पूनम नाई के नाम 1.0545 हैक्टेयर व वादीया राजबाला के नाम 1.0545 हैक्टेयर आराजी में पूनम नाई का नाम कलमजन कर 1.0545 हैक्टेयर आराजी की घोषणा वादीया राजबाला के नाम की जाकर कुल 2.109 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल थुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

(6)

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः- (मांगी लाल) RAS

प्रकरण संख्याः- 482/2023

राजबाला (पुत्री स्व0 श्री रामेश्वरलाल) धर्मपत्नी श्री हेतराम आयु 53 वर्ष जाति नाई निवासी रामपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

-:वादी

बनाम्

1 लिछमा धर्मपत्नी स्व0 श्री रामेश्वरलाल आयु लगभग 72 वर्ष जाति नाई निवासी पक्का सारना, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

2 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

3 सतीश कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर जाति नाई निवासी 3/124, शंकर कॉलोनी, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)

4 पुनम नाई पत्नी श्री सतीश कुमार जाति नाई निवासी 3/124, शंकर कॉलोनी, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 188 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री खुशप्रीत सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुरेन्द्र सहारण वकील प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है किः- चक 23 एलएलडब्लयू के संयुक्त खाता सख्या 49/53, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में कुल 10.120 हैक्टेयर आराजी में वादीया राजबाला के नाम .8435 हैक्टेयर आराजी, प्रतिवादी संख्या 1 लिछ्मा देवी के नाम 0.2535 हैक्टेयर, प्रतिवादी सख्या 3 सतीश कुमार के नाम .590 हैक्टेयर आराजी में राजबाला का 0.4215 हैक्टेयर हिस्सा कम कर राजबाला के नाम .422 हैक्टेयर तथा प्रतिवादीया संख्या 1 लिछमा का नाम कलमजन कर प्रतिवादी सख्या 3 सतीश कुमार के नाम .590 हैक्टेयर में से 0.126 हैक्टेयर कम कर 0.464 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 4 पूनम नाई के नाम .801 हैक्टेयर आराजी की घोषणा व चक नम्बर 23 एलएलडब्लयू के खाता सख्या 91/55 में रामेश्वरलाल पुत्र फताराम के नाम 1.138 हैक्टेयर आराजी दर्ज में रामेश्वरलाल का नाम कलमजन कर वादीया राजबाला के नाम 1.138 हैक्टेयर आराजी की घोषणा तथा चक 23 एलएलडब्लयू के खाता सख्या 75/56 में प्रतिवादीया सख्या 4 पूनम नाई के नाम 1.0545 हैक्टेयर व वादीया राजबाला के नाम 1.0545 हैक्टेयर आराजी में पूनम नाई का नाम कलमजन कर 1.0545 हैक्टेयर आराजी की घोषणा वादीया राजबाला के नाम की जाकर कुल 2.109 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.12.2025 को जारी किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ